बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

संख्या–06 / ई–रिक्शा (विविध)–08 / 2016 परि0... **पटना, दिनांक–**

परिवहन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0–1425 दिनांक–16.03.2016 द्वारा ई–रिक्शा / ई–कार्ट के निबंधन / परिचालन / चालन अनुज्ञप्ति के संबंध में प्रावधान किया गया था।

भारत सरकार एवं राज्य सरकार की यह नीति है कि प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से ई–रिक्शा / ई–कार्ट के परिचालन को बढ़ावा दिया जाय।

उपर्युक्त उद्देश्य के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0–1425 दिनांक–16.03.2016 की कंडिका–5 में निम्न संशोधन किया जाता है:–

1. ई–रिक्शा / ई–कार्ट के निर्माता / डीलर सभी व्यक्तियों को ई–रिक्शा / ई–कार्ट का विक्रय कर सकेंगे। ई–रिक्शा / ई–कार्ट के क्रय हेतु चालन अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं होगी, किंतु ई–रिक्शा / ई–कार्ट चलाने के लिए चालन अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होगी।
2. विभागीय अधिसूचना सं0–1425 दिनांक–16.03.2016 की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेंगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0 / –
सरकार के सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पटनां दिनांक–

प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। (द्वारा आई0टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना)

ह0 / –
सरकार के सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पटनां दिनांक–

प्रतिलिपिः–सभी जिला पदाधिकारी, बिहार / पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना / पुलिस अधीक्षक (यातायात), पटना / सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार / सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार / सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार / सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 835 पटनां दिनांक– 05.02.18

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को (विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु) / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–02, 04 एवं 06, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/2/18
सरकार के सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

45 F:/ vijay sir/Letter